न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 165 / 2016

1 ज्वाला सिंह उम्र 75 वर्ष पुत्र भूरसिंह।
2 भोपाल सिंह उम्र 67 वर्ष पुत्र भूरसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण जितास तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 धुकल राम पुत्र मोजाराम।
2 शीशपाल पुत्र मोजाराम।
3 नानू देवी पत्नी नारायणराम।
4 मामराज पुत्र नारायणराम।
5 शिवकुमार पुत्र नारायणराम।
6 महेश कुमार पुत्र नारायणराम।
7 शिवकोरी पत्नी लिक्ष्मणराम।
8 उम्मेद सिंह पुत्र लिक्ष्मणराम।
9 बिहारी पुत्र लिक्ष्मणराम।
10 शारदा देवी पत्नी हरदेवाराम।
11 संजीव कुमार पुत्र हरदेवाराम समस्त जाति मेघवाल निवासीगण हनुमानपुरा तहसील व जिला झुंझुनू।
12 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 10.02.2016
दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती एवं
बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी झुंझुनू बमुकदमा धुकलराम वगैरह
बनाम जवाल सिंह वगैरह मुकदमा नम्बर 70/2013

उपस्थिति :

1. श्री कायम सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हजारीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 27.02.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 70/2013 में पारित निर्णय दिनांक 10.02.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट ने विचारण न्यायालय में ग्राम जितास की भूमि गत खसरा नम्बर 82 हाल खसरा नम्बर 116, गत खसरा नम्बर 90/5 हाल खसरा नम्बर 188 बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से दावा डिक्री किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पत्रावली तलबी में चल रही थी विचारण न्यायालय में दिनांक 04.01.2016 को आगामी तिथि 11.03.2016 नियत की गई थी। विचारण न्यायालय ने वादी का शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्राप्त कर अपीलांट

को सुचित किये बिना मन मर्जी से दिनांक 05.01.2016 को पत्रावली पेशी में ले ली एवं दिनांक 21.01.2016 को वादी की एक पक्षीय बहस सुनकर विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना किये बिना अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना, प्रकरण में तनकीयात कायम किये बिना विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है। जो पूर्णतया विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया अनुसार शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर सुनवाई के उपरान्त विचाराधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट को प्रत्येक तारिख पेशी की भंलीभांती जानकारी थी। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 05.01.2016 में अंकन है कि पत्रावली वादीगण की और से शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश करने पर आज पेश हुई। वादीगण का शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आगामी पेशी 21.01.2016 नियत की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तारिख की सूचना दी जाकर पत्रावली दिनांक 21.01.2016 को पेश हो दिनांक 21.01.2016 को प्रतिवादीगण उपस्थित नही रहे है इस पर विचारण न्यायालय ने वादीगण की लिखित बहस प्राप्त कर समुचित विवेचन के उपरान्त विचाराधीन निर्णय पारित किया गया। प्रकरण के गुणावगुण के सम्बंध में कोई कथन अपीलांट ने अपील मेमों एवं वर वक्त बहस नही किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत पाया जाता है। इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर